ई-1806935

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20-08-2024

विषयः- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर/उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर/जिला कारागार चित्रकूट के विचाराधीन/ सिद्धदोष बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-23095/सामा-1(5)/19/गौतमबुद्धनगर/2024, दिनांक 01-08-2024, पत्र संख्या-23267/सामा-1(5)/57/उप का0 देवबन्द/2024, दिनांक 01-08-2024 तथा पत्र संख्या-22686/सामा-1(3)/26/चित्रकूट/2023, दिनांक 29-07-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर/उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर/जिला कारागार चित्रकूट में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	विचाराधीन/सिद्धदोष बन्दियों के नाम/पिता के नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम, जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
01	अनिल भाटी उर्फ सोनू भाटी पुत्र श्री सहदेव भाटी	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	जिला कारागार, अम्बेडकरनगर
02	रवि नागर उर्फ रविन्द्र सिंह उर्फ रवि काना पुत्र श्री यतेन्द्र	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	जिला कारागार, बांदा
03	जोगेन्द्र उर्फ जुगेन्द्र उर्फ जुगला पुत्र श्री अजीपाल	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	जिला कारागार, बहराईच
04	कुर्बान पुत्र श्री इन्तजार	उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर	जिला कारागार, खीरी
05	युवराज उर्फ घोलू पुत्र श्री रविन्द्र सिंह	उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर	जिला कारागार, आगरा
06	नौशाद पुत्र श्री इलियास	उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर	जिला कारागार, कानपुर देहात
07	अरविन्द पुत्र श्री ईशमसिंह	उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर	जिला कारागार, उरई जालौन
08	फरहान अहमद पुत्र श्री अनीश अहमद	जिला कारागार, चित्रकूट	केन्द्रीय कारागार, इटावा

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर/अम्बेडकरनगर/बांदा/बहराइच/सहारनपुर/लखीमपुर खीरी/आगरा/कानपुर देहात/ जालौन/ चित्रकूट/इटावा।

5- पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर/आगरा/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर/बांदा/बहराइच/सहारनपुर/लखीमपुर खीरी/कानपुर देहात/ जालौन/ चित्रकूट/इटावा।

6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा/जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर/अम्बेडकरनगर /बांदा/ बहराइच/ खीरी/आगरा/कानपुर देहात/उरई जालौन/चित्रकूट/उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों के कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in